कोयला मंत्रालय मांग संख्या 9 कोयला मंत्रालय

(₹ करोड़)

वेक 2017-20: पूंजी 688.98 -688.98 	722.21 20.36 12.72 33.08	राजस्व 770.91 770.91 23.24 14.67 37.91	2018-2019 ਧ੍ਰੰਡੀ 	जोड़ 770.91 770.91 23.24 14.67 37.91	राजस्व 781.85 781.85	2018-2019 पूंजी 	अ जोड़ 781.85 781.85 23.95 11.88 35.83	राजस्व 1159.05 	2019-2020 पूंजी 	जोड़ 1159.05 1159.05
688.98 -688.98 	1411.19 -688.98 722.21 20.36 12.72	770.91 770.91	 	770.91 770.91 23.24 14.67	781.85 781.85		781.85 781.85 23.95 11.88	1159.05 1159.05		1159.05 1159.05
-688.98 	-688.98 722.21 20.36 12.72	 770.91 23.24 14.67	 	 770.91 23.24 14.67	 781.85 23.95 11.88		 781.85 23.95 11.88	 1159.05	 	 1159.05
 	20.36 12.72	 770.91 23.24 14.67	 	23.24 14.67	 781.85 23.95 11.88	 	23.95 11.88	 1159.05		25.01
 	722.21 20.36 12.72	23.24 14.67		23.24 14.67	23.95 11.88		23.95 11.88	1159.05 25.01		25.01
	20.36 12.72	23.24 14.67		23.24 14.67	23.95 11.88		23.95 11.88	25.01		25.01
	12.72	14.67		14.67	11.88		11.88			
	12.72	14.67		14.67	11.88		11.88			
	12.72	14.67		14.67	11.88		11.88			
	12.72	14.67		14.67	11.88		11.88			
								13.89		13.89
	33.08	37.91	•••	37.91	35.83		25.02			
						•••	35.63	38.90		38.90
•••	8.80	10.00		10.00	25.00		25.00	25.00	•••	25.00
	499.55	200.00		200.00	200.00		200.00	135.00		135.00
	159.28	500.00		500.00	500.00		500.00	937.00		937.00
688.98	688.98									
-688.98	-688.98									
		•••			•••				***	•••
	667.63	710.00		710.00	725.00	•••	725.00	1097.00		1097.00
	667.63	710.00		710.00	725.00	•••	725.00	1097.00	•••	1097.00
	21.50	23.00		23.00	21.02		21.02	23.15		23.15
		770.91					781.85	1159.05		1159.05
		667.63	667.63 710.00 21.50 23.00	667.63 710.00 21.50 23.00	667.63 710.00 710.00 710.00 23.00	667.63 710.00 710.00 725.00	667.63 710.00 710.00 725.00 21.50 23.00 23.00 21.02	667.63 710.00 710.00 725.00 725.00 725.00 21.02	667.63 710.00 710.00 725.00 725.00 1097.00	667.63 710.00 710.00 725.00 725.00 1097.00 21.50 23.00 23.00 21.02 21.02 23.15

(₹ करोड़)

	वास्त्री	विक 2017-201	ৰजट 2018-2019			संशोधित 2018-2019			ৰजट 2019-2020			
	राजस्व	पूंजी	ँ जोड़		ग्टंजी पूंजी			पूंजी पूंजी	 जोड़		पूंजी	, जोड़
च. विकास शीर्ष	,,,,,,	~			ζ		*****	,		,,,,,,	ζ	
सामाजिक सेवाएं												
1. श्रम, रोजगार और कौशल विकास	21.50		21.50	23.00		23.00	21.02		21.02	23.15		23.15
जोड़-सामाजिक सेवाएं	21.50		21.50	23.00		23.00	21.02		21.02	23.15	•••	23.15
आर्थिक सेवाएं												
2. कोयला और लिग्नाइट	680.35		680.35	653.67		653.67	664.38		664.38	1001.19	•••	1001.19
3. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	20.36		20.36	23.24		23.24	23.95		23.95	25.01		25.01
4. कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय												
जोड़-आर्थिक सेवाएं	700.71		700.71	676.91		676.91	688.33		688.33	1026.20		1026.20
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र				71.00		71.00	72.50		72.50	109.70		109.70
जोड़-अन्य				71.00		71.00	72.50		72.50	109.70		109.70
कुल जोड़	722.21	•••	722.21	770.91		770.91	781.85		781.85	1159.05		1159.05
												(₹ करोड़)
	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोः	बजट इ सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. एनएलसी इंडिया लिमिटेड		5105.43	5105.4	3	4298.69	4298.69		6922.34	6922.34		8271.00	8271.00
2. कोल इंडिया लिमिटेड		9334.55	9334.5	5	9500.00	9500.00		9500.00	9500.00		10000.00	10000.00
3. सिंगरेनी कॉलरीज़ कंपनी लिमिटेड		1477.39	1477.3	9	2000.00	2000.00		1100.00	1100.00		1850.00	1850.00
जोड़		15917.37	15917.3	7	15798.69	15798.69		17522.34	17522.34		20121.00	20121.00

- 1. **सचिवालय:** इसमें सूचना प्रौद्योगिकी व्यय सहित कोयला मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।
- 2. **सांविधिक निकाय, संबद्ध और अधीनस्य कार्यालय:** यह प्रावधान कोयला नियंत्रण कार्यालय, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और उनकी स्थापना के लिए है।
- 3. **अनुसंघान और विकास:** इसमें कोयला उद्योग में प्रत्याशि अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के लिए प्रावधान शामिल है। इसका मुख्य क्षेत्र स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का संवर्धन और परियोजना चलाने हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान करना है।
- 4. **कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास:** कोलफील्ड क्षेत्रों में कोयले की निकासी तक सड़क एवं रेल परिवहन अवसंरचना विकास के पश्चात खानों के स्थिर करने के लिए इसमें रेत भराई और संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए प्रावधान शामिल है। इसमें कोयला क्षेत्रों में भूमि सुधार और धंसान नियंत्रण सहित पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने के लिए भी प्रावधान है।
- 5. **कोयला और लिग्नाईट का अन्वेषण:** यह प्रावधान कोयले की मांग में हुई पर्याप्त वृद्धि को पूरा करने के उद्देश्य से कोयले की उपलब्धता का आकलन करने हेतु आरंभिक ड्रिलिंग करने के लिए हैं। इसमें गैर-सीआईएल कोयला खनन ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए भी प्रावधान है जिसमें कि सृजित की गई भूवैज्ञानिक रिपोर्ट खनन कोयला की तैयारी के लिए कोयला खनन और समय घटाने के संबंध में निवेश के निर्णय लेने में संभावित निवेशकों को

मदद कर सके। इस कदम में कोयला खनन उद्योग में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना केंद्रीय खान योजना और डिजायन संस्थान लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।

7. **कोयला खान पेंशन स्कीम:** कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से प्रवृत्त हुई। इस योजना के लिए निधियां कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं द्वारा कुल वेतन का 1.17% के अंशदान से बनती हैं। केन्द्र सरकार भी 1600 रूपए प्रतिमाह की अधिकतम सीमा की शर्त पर कर्मचारी के वेतन का 1.67% की दर से अंशदान करती है। इस योजना के संचालन की लागत अंशत: केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।